

सूचना

विषय : वर्ष 2026 के लिए जीआइसी री और टीएसी (जीवन और परिवार) पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने हेतु

सरकार के निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए जीआइसी री और टीएसी - जीवन और परिवार पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र "जीवन प्रमाण पोर्टल" पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) के माध्यम से जमा किया जाना है। जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से डीएलसी (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) जमा करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता **आधार कार्ड** है।

जीवन प्रमाण पत्र का पंजीकरण और उसे जमा निम्नलिखित चरणों के माध्यम से एंड्रॉइड स्मार्टफोन का उपयोग करके किया जा सकता है: -

1. **गूगल प्ले स्टोर** से AadhaarFaceRd ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें।
2. **गूगल प्ले स्टोर** से जीवन प्रमाण एप्लिकेशन डाउनलोड करें।
3. ऑपरेटर प्रमाणीकरण / पंजीकरण (एक बार की प्रक्रिया)।
4. पेंशनर प्रमाणीकरण: जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

इसे जमा करने के लिए विस्तृत निर्देश पुस्तिका जीआइसी री की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.gicre.in/en/people-resources/retirees-corner>) पर "सेवानिवृत्त कॉर्नर" पर उपलब्ध है। **कृपया इसे ध्यान से पढ़ें।**

जीआइसी री और टीएसी के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों का जीवन प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2026 को या उसके बाद **लेकिन 31 जनवरी 2026 को या उससे पहले** जमा किया जा सकता है। 1 जनवरी 2026 से पहले जमा किया गया जीवन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। पोर्टल 31 जनवरी 2026 के बाद जीवन प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि अपनी पेंशन/पारिवारिक पेंशन के निर्बाध प्रेषण के लिए समय पर अपना डीएलसी जमा करें। जीवन प्रमाण पत्र की पावती **15 फरवरी 2026** तक आधिकारिक वेबसाइट पर साझा की जाएगी।

जमा की गई डीएलसी (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट) की स्थिति जीवन प्रमाण पोर्टल <https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login> पर जीवन प्रमाण आईडी भरकर पेंशनर लॉगिन में सत्यापित की जा सकती है।

किसी भी संदेह / प्रश्न के मामले में, कृपया हमें pfpension@gicre.in पर लिखें और **022-22867221/22867260** पर हमसे संपर्क करें।

(जयेश महेता)

सचिव

मानव संसाधन-पीएफ/पेंशन विभाग